न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी मंगलाराम पूनिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 80 / 2023 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. गिरधारीलाल पुत्र वगताराम 2. मथरादेवी पत्नी वगताराम 3. शांतिदेवी पत्नी तांबाराम 4. नाबालिग अंजु पुत्री तांबाराम उम्र 9 वर्ष जरिये वलीमाता शांतिदेवी पत्नी तांबाराम 5. नाबालिग भावना पुत्री तांबाराम उम्र 7 वर्ष जरिये वलीमाता शांतिदेवी पत्नी तांबाराम 6. नाबालिग पायल पुत्री तांबाराम उम्र 6 वर्ष जरिये वलीमाता शांतिदेवी पत्नी तांबाराम जाति कलबी निवासी समदड़ी तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर	1. कानाराम पुत्र सोनाराम जाति चौधरी निवासी मकान संख्या 268, भगत की कोठी, जोधपुर 2. मेथीदेवी पत्नी मांगीलाल 3. जोगाराम पुत्र लच्छाराम 4. दोलाराम पुत्र लच्छाराम 5. हडमानाराम पुत्र लच्छाराम 6. मुलाराम पुत्र खुशालाराम 7. अनोपाराम पुत्र जेठाराम 8. इन्द्रादेवी पत्नी लालाराम 9. धापु पुत्री लालाराम 10. मोहनी पुत्री लालाराम 11. सुआ पुत्री लालाराम 12. ओमाराम पुत्र लालाराम 13. कानीदेवी पत्नी लालाराम 14. थानाराम पुत्र लालाराम 15. तेजाराम पुत्र लालाराम 16. तिलोकाराम पुत्र जेठाराम 17. भीमाराम पुत्र जेठाराम 18. भूराराम पुत्र हीराराम जातियान कलबी निवासी समदड़ी तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर 19. व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड बाड़मेर कॉ ऑपरेटिव बैं शाखा समदड़ी 20. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदड़ी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 121 / 2022 बअनवान कानाराम बनाम शांतिदेवी वगैरा में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.04.2023 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री सुखदेव पटेल अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री रामसुख माली रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—06.12.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश हुआ।

06.12.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

मौजा महादेव नगर, तहसील समदड़ी के खेत खसरा संख्या 87 रकबा 9.4453 हैक्टयर, खसरा संख्या 77 रकबा 7.0415 हैक्टयर, समदडी के खेत खसरा संख्या 615/368 रकबा 0.7608 हैक्टयर, खसरा संख्या 370 रकबा 2.5738 हैक्टयर, खसरा संख्या 740/405 रकबा 0.8094 हैक्टयर तथा खसरा संख्या 367 रकबा 0.0567 हैक्टयर में अपीलकर्ता व रेस्पोडेंटस की खातेदारी की आयी हुई है तथा उक्त वादग्रस्त खेत खसरान का बाई मिटस एण्ड बाउण्ड बंटवाड़ा करने का अनुतोष चाहते हुए हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित करने में विधिक एवं तथ्यों की भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना निर्णय कर डिक्री पारित कर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार समदड़ी से तलब करने का आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी एवं तथ्यों की भूल की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांट को अपनी शहादत पेश करने कोई अवसर नहीं दिया गया। अदालत मातहत ने राजस्व मण्डल के बंटवाडा नियमों को भी दरकिनार कर निर्णय पारित कर कानून का घोर उल्लंघन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय जल्दबाजी में पारित किया गया। अदालत मातहत ने राजस्व विधि व सिविल प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया। अपीलाधीन आराजी को संरक्षित रखने हेतु श्रीमान न्यायालय से निवेदन है कि प्रकरण को रिमाण्ड करते वक्त स्थगन आदेश को मूल वाद के निस्तारण तक यथावत रखने के आदेश पारित करावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

6.12.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। हिस्सों को लेकर अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार का उजर पेश नहीं किया गया। अपीलांटस द्वारा हस्तगत प्रकरण को अनावश्यक लंबा करने की नियत से यह अपील पेश की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आराजी में वर्णित समस्त संयुक्त खातेदारों के हिस्सों को खोलते हुए निर्णय पारित किया गया। अपीलाधीन डिक्री में किसी भी प्रकार की कानूनी कमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की प्रथम बार जानकारी तहसीलदार समदड़ी का नोटिस प्राप्त हुआ तब दिनांक 21.07.2023 को उक्त दावा में निर्णय होने की अपीलकर्ता को प्रथम बार जानकारी हुई। अपीलांटगण को अपने हक हकुक संशयप्रद लगे तो अपीलांटगण ने आलोच्य निर्णय व वाद की नकले मांगी जो दिनांक 27.07.2023 को प्राप्त होने पर सर्वप्रथम गलत रूप से की गई डिक्री की जानकारी हुई तथा जानकारी से यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। मातहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में सभी पक्षकारों के राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार हिस्सों की घोषणा की गई। हस्तगत अपील में अपीलांट द्वारा हिस्से को लेकर कोई आपति नहीं की गई जबकि अपीलाधीन निर्णय से हिस्से की घोषणा की गई है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पारित की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी भी प्रकार की वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन

5.12.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

करते हुए पारित की गई। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 121/2022 बअनवान कानाराम बनाम शांतिदेवी वगैरा में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.04.2023 को यथावत रखा जाता है।

06.12.23

(मंगलाराम बामिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 06.12.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06.12.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर